समाहरणालय, शेखपुरा।

(खनन शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

शेखपुरा जिला के ईंट निर्माताओं तथा ईंट भट्ठा मालिकों के लिए आवश्यक सूचना

खान एवं भूतत्व विभाग को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्यान्तर्गत ईट भट्ठे का संचालन वगैर पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद से CTE/CTO प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही निर्माणकर्त्ताओं द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(क) के तहत निर्धारित समेकित स्वामिस्व का भुगतान भी नहीं किया जाता है एवं वगैर खनन अनुज्ञप्ति के ही ईंट मिट्टी का निष्कासन किया जा रहा है। विदित हो कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार वगैर अनुज्ञप्ति/पट्टा के ईंट–मिट्टी का खनन अवैध है एवं इस हेतु धारा 21(1) में पॉच वर्षो की कारावास के साथ पॉच लाख रूपये प्रति हेक्टेयर जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शेखपुरा जिला के सभी ईंट निर्माताओं को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न प्रपत्र में अद्यतन सूचना खान एवं भूतत्व विभाग के विभागीय ई–मेल – **secymine-bih@nic.in** एवं जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा ई–मेल–**mdosheikhpura@gmail.com** पर 7 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर भविष्य में निरीक्षण के कम में यह पाया जाता है कि संबंधित ईंट–भट्ठेदार खान एवं भूतत्व विभाग एवं जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा को वगैर सूचना उपलब्ध कराये संचालित है, तो उनपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क0	ईंट निर्माण कर्त्ता का नाम एवं पता	मालिक का ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर	ईंट–भट्ठा का मौजा/थाना संख्या	ईंट–निर्माण हेतु जमीन निजी है या किसी अन्य रैयत से प्राप्त है	अगर अन्य रैयत से प्राप्त है तो लिखित सहमति प्राप्त है या नहीं	अंचल का नाम	BMMC Rules के नियम 26(क) के अनुसार भट्ठा किस श्रेणी के अन्तर्गत है तथा ईंट का मार्का	खनन योजना कार्यालय से अनुमोदित है या नही	SEIAA/ DEIAA से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है या नहीं	BSPCB से CTE/ CTO प्राप्त है अथवा नही	ईंट भट्ठा कब से संचालित है	अबतक वर्षवार भुगतान की गई समेकित स्वामिस्व राशि का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

यदि आपका ईंट भट्ठा फिलहाल बंद है तो भी उक्त सूचना देना अनिवार्य है।

विस्तृत जानकारी के www.prdbihar.gov.in पर संम्पर्क करें।

समाहर्त्ता,
शेखपुरा।